न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—95 / 2020 / 225 (2020 / 00095)

1. रामदेव पुत्र चन्द्रा, जाति भांबी, निवासी ग्राम रूपपुरा बांदनवाड़ा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
2. शिवराज पुत्र छगना, जाति जाट, निवासी ग्राम भटियाणी, तह0 नसीराबाद जिला अजमेर ।
3. धर्मराज पुत्र छगना, जाति जाट, निवासी ग्राम भटियाणी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामकरण पुत्र रामनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम भटियाणी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. गोरधन पुत्र रामनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम भटियाणी, तह0नसीराबाद जिला अजमेर ।
3. मोती पुत्र हरनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम भटियाणी, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 20.2.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 59 / 2019.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः— 22.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 20.2.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण / रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण / अपीलांटस एवं राज0सरकार के पेश कर कथन किया कि ग्राम भटियानी के खसरा नंबर 3045 रकबा 0.46 है0 व 3044 रकबा 3.38 है0 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी है, जिस पर प्रार्थीगण कदीम से काबिज काश्त है । उक्त आराजी के चौसाला खसरा नंबर 1788 वर्किंग खसरा नंबर 2604 व 2605 के नक्शे की तुलना में हाल राजस्व मानचित्र में छोटा अंकित कर दिया है जिस कारण प्रार्थीगण के खसरा नंबर 3045 के कोने में खुदे हुए चाह को अप्रार्थीगण बदनियति से हड़पने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 20.2.2020 को पारित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा मौका पर्चा दिनांक 1.7.2019 जो कि अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी खेत खसरा नंबर 3010 के साथ अन्य खेतों के सहित वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 स 3 के द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया जिसकी प्रति अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर वादगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 1.7.2019 के विरूद्ध आपत्ति पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिस पर दिनांक 3.9.2019 के आदेश अनुसार आवेदन पत्र निरस्त करते हुए खसरा नंबर 3010 की सीमाज्ञान रिपोर्ट को सही मानते हुए वादीगण का आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया इसके बावजूद अधी0न्याया0 के द्वारा खसरा नंबर 3010 की भूमि के संदर्भ में आवेदन पत्र धारा 212 स्वीकार किए जाने में कानूनी त्रुटि की है । खसरा नंबर 3010 एवं 3010/3518 ग्राम भटियाणी तहसील नसीराबाद स्थित भूमि जो कि अपीलांट संख्या 1 रामदेव की खातेदारी की कृषि भूमि है ऐसी अवस्था में अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटस के विरूद्ध पारित किया है जो विधि विरूद्ध है । विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार एवं माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा पारित अन्य याचिका के अंतर्गत पारित निर्णय के अनुसार खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है । अधी0न्याया0 द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत् जो आदेश पारित किया गया है वह सुस्पष्ट नहीं है । वादीगण द्वारा चाह जो कि मूल रूप में 15 फुट है परन्तु चाह का ऊपरी हिस्सा, बंदेज का पारा (गहरा) जो कि 52 फुट चौड़ा कर मलबा अपीलांट संख्या 1 जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 3010 की भूमि को खराब करने की नियत से वादीगण के द्वारा गैर कृत्य किया गया है परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन आदेश जो पारित किया है वह विधि विरूद्ध है जबकि वर्तमान खसरा नंबर 3010 अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है, के संदर्भ में पारित किया है जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने मात्र नक्शे में त्रुटि को आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत् पारित किये है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में राजस्व नक्शे में किस प्रकार से त्रुटि है, कौनसे खसरा नंबर में त्रुटि हुई कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अपीलांटस के अधिवक्ता के द्वारा अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की कोई सूचना नहीं दी गई । तत्पश्चात् दिनांक 23.3.2020 से कोविड–19 के कारण न्याायालय का कार्य दिनांक 30.6.2020 तक स्थगित कर दिया गया तथा पक्षकार एवं अधिवक्ता पर भी पाबंद लगाई गई कि वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो । अपीलांट द्वारा उनके अधिवक्ता से दिनांक 5.6.2020 को संपर्क कर प्रकरण की आगामी कार्यवाही एवं पेशी की जानकारी चाही गई जिस पर उनके अधिवक्ता ने बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.2.2020

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

को ही हो चुका है जिसकी अपीलांटस को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 5.6.2020 को हुई तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 8.6.2020 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अतः अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । राज0काश्त0अधि0 के तहत धारा 89 के तहत नक्शे की दुरूस्ती हेतु वाद लाया जा सकता है । राज0काश्त0अधि0 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धाराओं में एक साथ वाद लाया जा सकता है । वाद तभी वर्जित होता है जब वह किसी वाद हेतुक का खुलासा नहीं करता है व सुनवाई का क्षेत्राधिकार न हो या वादपत्र के कथन से वाद किसी विधि से वर्जित होना प्रतीत होता हो । गलत धारा अंकित कर दिये जाने से दावा खारिज नहीं किया जा सकता है । वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 3045 व 3044 रेस्पो0 की आराजियात है तथा खसरा नंबर 3010, 3010/3518 अपीलांटस की खातेदारी की आराजियात है । हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार किया जाकर रेस्पो0 की आराजियात का रकबा कम कर दिया गया है जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण/अपीलांटस रेस्पो0 की आराजियात में दखलदांजी कर रहे है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 एवं अप्रार्थीगण/अपीलांटस की आराजियात की सीमायें लगती हुई है। राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से निर्धारित किये जावेगे । यदि हाल मानचित्र के आधार पर अपीलांटस रेस्पो0 को विवादित आराजी से बेदखल कर देते है तो अपूर्णीय क्षति रेस्पो0 को होने की संभावना है । अधी0न्याया0 ने मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपीलांटस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2019 (3)राज0 पेज 2391, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 33, आर0आर0टी0 2016 पेज 657, आर0आर0टी0 2003 (2) पेज 748, आर0आर0टी0 2018 (2) पेज 1524, आर0आर0डी0 1970 पेज 140, 135, आर0आर0डी0 1996 पेज 120, आर0बी0जे0 2019 (26) पेज 129, आर0एल0आर0 1988 (2) पेज 871, आर0आर0डी0 1996 पेज 100, आर0बी0जे0 2015 (22) पेज 280, आर0बी0जे0 2011 (2) पेज 1149, आर0बी0जे0 2020 (22) पेज 82, आर0एल0डब्ल्यू0 2012 (1) पेज 359, 400, आर0बी0जे0 2019 (26) पेज 658 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये तथा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 88/2018 की आदेशिकाओं की प्रतिलिपि एवं राजस्व वाद की प्रतिलिपि पेश की ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणवगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 20.2.2020 का अवलोकन किया । प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 सपठित धारा 151

जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी के खसरा नंब 3045 रकबा 0.46 है0, खसरा नंबर 3044 रकबा 3.38 है0 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी है जिस पर प्रार्थीगण कदीम से काबिज काश्त है । उक्त आराजी के चौसाला खसरा नंबर 1788 वर्किंग खसरा नंबर 2604 व 2605 को नक्शे की तुलना में हाल राजस्व मानचित्र में छोटा अंकित कर दिया है जिस कारण प्रार्थीगण के खसरा नंबर 3045 के कोने में खुदे हुए चाह को अप्रार्थीगण बदनियति से हड़पने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

9. अतः प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खेत की सीमायें लगती हुई है । राजस्व मानचित्र में दुरूस्तगी के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्ध होगें । मूल वाद के निस्तारण तक हाल राजस्व मानचित्र के आधार पर किये गये सीमाज्ञान से प्रार्थीगण को उक्त आराजी का अतिक्रमी नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु को वाद के निस्तारण तक यथावत् रखने हेतु उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.2.2020 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 22.3.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर